### HARYANA GOVERNMENT

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

#### Notification

The 27th October, 2006

No. CCP(NCR)/JND(UCN)/CA(A)/2006/3238.—In exercise of the powers conferred by clause, (a) of Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of eight kilometers around Municipal Town of Uchana, District Jind as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be controlled area for the purposes of the said Act, namely:—

#### Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Municipal Town of Uchana of District Jind to be read with Drawing No. DTP (J) 1140/2006, dated the 6th June, 2006.

North:—Starting from point 'A' which is the north-west corner of rectangle No. 46 of village Kheri Safa (Hadbast No. 116), thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 46, 47, 48, 49, 50 and 51 of village Kheri Safa (Hadbast No. 116) and rectangle No. 40, 41, 42, 43 and 44 of village Kharak Bhura (Hadbast No. 115) upto point 'B' which is the north-east corner of rectangle No. 44 of village Kharak Bhura (Hadbast No. 115).

East:—Thence moving from point 'B' towards south along the eastern boundary of rectangle No. 44, 48 and 59 of village Kharak Bhura (Hadbast No. 115) upto point 'C' which is the south-east corner of rectangle No. 59 of village Kharak Bhura (Hadbast No. 115). Thence towards east along northern boundary of rectangle No. 61 of village Kharak Bhura (Hadbast No. 115) and rectangle No. 107, 106 and 105 of village Karsindhu (Hadbast No. 128) upto point 'D' which is the north-east corner of rectangle No. 105 of village Karsindhu (Hadbast No. 128). Thence towards south along the eastern boundary of rectangle No. 105, 110, 154, 159, 200, 205, 246 and 248 of village Karsindhu (Hadbast No. 128) and rectangle No. 47 of village Pahlwan (Hadbast No. 114) upto point 'E' which is the south-east corner of rectangle No. 47 of village Pahlwan (Hadbast No. 114). Thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 49 of village Pahlwan (Hadbast No. 114) and rectangle No. 283, 282 and 281 of village Karsindhu (Hadbast No. 128) upto point 'F' which is the north-east corner of rectangle No. 281 of village Karsindhu (Hadbast No. 128). Thence towards south along with the eastern boundary of rectangle No. 281, 286, 308, 311, 331 and 332 of village Karsindhu (Hadbast No. 128) and rectangle No. 111 of village Pahlwan (Hadbast No. 116) upto point 'G' which is the south-east corner of rectangle No. 111 of village Pahlwan (Hadbast No. 114). Thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 11 of village Baroda (Hadbast No. 113) and rectangle No. 345 and 344 of village Karsindhu (Hadbast No. 128) upto point 'H' which is the north-east corner of rectangle No. 344 of village Karsindhu (Hadbast No. 128). Thence towards south along the eastern boundary of rectangle No. 344 of village Karsindhu (Hadbast No. 128) and rectangle No. 10, 19, 26, 38, 45, 61, 68, 93, 100, 124, 131, 154, 160, 183, 188, 209, 213, 234 and 237 of village Baroda (Hadbast No. 113) upto point 'I' which is the south-east corner of rectangle No. 237 of village Baroda (Hadbast No. 113).

South:—Thence moving from point 'I' towards west along the southern boundary of rectangle No. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 and 245 of village Baroda (Hadbast No. 113) upto point 'I' which is the south-west corner of rectangle No. 245 of village Baroda (Hadbast No. 113). Thence towards north along the western boundary of rectangle No. 245, 226, 221, 201, 196, 175, 168, 146 and 139 of village Baroda (Hadbast No. 113) upto point 'K' which is the north-west corner of rectangle No. 139 of village Baroda (Hadbast No. 113). Thence towards west along the southern boundary of rectangle No. 115, 114 and 113 of village Baroda (Hadbast No. 113) and rectangle No. 6, 2, 8, 9 and 10 of village Khapran (Hadbast No. 112) and rectangle No. 48, 49, 50, 51 and 52 of village Bhongra (Hadbast No. 111).

West:—Thence moving from point 'L' towards north along the western boundary of rectangle No. 52, 40, 31, 16, 7 and 3 of village Bhongra (Hadbast No. 111) and rectangle No. 164, 151, 121, 109, 80, 70, 48, 39, 20, 11 and 3 of village Uchana-Kalan (Hadbast No. 109) and rectangle No. 97, 88, 79, 69, 58, 47, 36, 25 and 14 of village Kheri-Masania (Hadbast No. 108) upto point 'M' which is the north-west corner of rectangle No. 14 and 15 of village Kheri-Masania (Hadbast No. 108). Thence towards east along the north-east corner of rectangle No. 15 of village Kheri-Masania (Hadbast No. 108) upto point 'N' which is the north-east corner of rectangle No. 15 of village Kheri-Masania (Hadbast No. 108). Thence towards north along the western boundary of rectangle No. 3 of village Kheri-Masania (Hadbast No. 108) and rectangle No. 61,57 and 46 of village Kheri Safa (Hadbast No. 116) upto point 'A' i.e. the point of start.

#### SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department. HARRYANA GOVT. GAZ. (EXTEA.), OCT. 27

# हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 27 अक्तूबर, 2006

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/जे०एन०डी०(यू०सी०एन०)/सी०ए०(ए)/2006/3238.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क), द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार जिला जीन्द की उचाना नगरपालिका की सीमा के इर्द-गिर्द आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर के क्षेत्र को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

## अनुसूची

जिला जीन्द की उचाना नगरपालिका के इर्द-गिर्द के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जे) 1140/2006, दिनांक 6 जून, 2006 के साथ पढ़ा जाये।

उत्तर :--बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुये, जोकि गांव खेड़ी सफा (हदबस्त संख्या 116) की आयत संख्या 46 का उत्तर-पश्चिम कोना है, इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुये गांव खेड़ी सफा (हदबस्त संख्या 116) की आयत संख्या 46, 47, 48, 49, 50 तथा 51 और गांव खरक बूरा (हदबस्त संख्या 115) की आयत संख्या 40, 41, 42, 43 तथा 44 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जोकि खरक बूरा (हदबस्त संख्या 115) की आयत संख्या 44 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : - तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर चलते हुये गांव खरक बूरा (हदबस्त संख्या 115) की आयत संख्या 44, 48 और 59 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ त्रिन्दु 'सी' तक जो कि गांव खरक बूरा (हदबस्त संख्या 115) की आयत संख्या 59 का दक्षिण-पूर्व कोना है। फिर पूर्व की तरफ गांव खरक बूरा (हदबस्त संख्या 115) की आयत संख्या 61 और गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 107, 106 तथा 105 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 105 का उत्तर-पूर्व कोना है। फिर दक्षिण की तरफ गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 105, 110, 154, 159, 200, 205, 246 तथा 248 तथा गांव पालवां (हदबस्त संख्या 114) की आयत संख्या 47 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक जोकि गांव पालवां (हदबस्त संख्या 114) की आयत संख्या 47 का दक्षिण-पूर्व कोना है। फिर पूर्व की तरफ गांव पालवां (हदबस्त संख्या 114) की आयत संख्या 49 तथा गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 283, 282 तथा 281 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एफ' तक, जो कि गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 281 का उत्तर-पूर्व कोना है। फिर दक्षिण की तरफ गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 281, 286, 308, 311, 331 तथा 332 तथा गांव पालवां (हदबस्त संख्या 114) की आयत संख्या 111 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जी' तक, जोकि गांव पालवां (हदबस्त संख्या 114) की आयत संख्या 111 का दक्षिण-पूर्व कोना है। फिर पूर्व की तरफ गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 11 और गांव करिसन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 345 और 344 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एच' तक जोकि गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 344 का उत्तर-पूर्व कोना है। फिर दक्षिण की तरफ गांव करसिन्धू (हदबस्त संख्या 128) की आयत संख्या 344 और गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 10, 19, 26, 38, 45, 61, 68, 93, 100, 124, 131, 154, 160, 183, 188, 209, 213, 234 तथा 237 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'आई' तक, जोकि गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 237 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण:—इसके पश्चात् बिन्दु 'आई' पश्चिम की ओर चलते हुये गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 तथा 245 की दिक्षणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'जे' तक जो कि गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 245 का दिक्षण-पश्चिम कोना है। फिर उत्तर की तरफ गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 245, 226, 221, 201, 196, 175, 168, 146 तथा 139 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'के' तक जोकि गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 139 का उत्तर-पश्चिम कोना है। फिर पश्चिम की तरफ गांव बड़ोदा (हदबस्त संख्या 113) की आयत संख्या 115, 114 तथा 113 तथा गांव खापड़ा (हदबस्त संख्या 112) की आयत संख्या 6, 7, 8, 9 तथा 10 तथा गांव भोंगरा (हदबस्त संख्या 111) की आयत संख्या 48, 49, 50, 51 तथा 52 की दिक्षणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एल' तक जो कि गांव भोंगरा (हदबस्त संख्या 111) की आयत संख्या 52 का दिक्षण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम :—इसके पश्चात् बिन्दु 'एल' से उत्तर की ओर चलते हुये गांव भोंगरा (हदबस्त संख्या 111) की आयत संख्या 52, 40, 31, 16, 7 तथा 3 तथा गांव उचाना कलां (हदबस्त संख्या 109) की आयत संख्या 164, 151, 121, 109, 80, 70, 48, 39, 20, 11 तथा 3 तथा गांव खेडी मसानिया (हदबस्त संख्या 108) की आयत संख्या 97, 88, 79, 69, 58, 47, 36, 25 तथा 14 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एम' तक जो कि गांव खेडी मसानियां (हदबस्त संख्या 108) की आयत संख्या 108) की आयत संख्या 14 का उत्तर-पश्चिम कोना है। फिर पूर्व की तरफ गांव खेडी मसानियां (हदबस्त संख्या 108) की आयत संख्या 14 तथा 15 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'एन' तक जो कि गांव खेडी मसानियां (हदबस्त संख्या 108) की आयत संख्या 15 का उत्तर-पूर्व कोना है। फिर उत्तर की तरफ गांव खेडी मसानियां (हदबस्त संख्या 108) की आयत संख्या 116) की आयत संख्या 61, 57 तथा 46 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जोिक प्रारम्भिक बिन्दु है।

of the second Committee of the Committee

manus! -

Government Harvana, Town and County Plancing Departm

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।